सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरण जांच सूची (Check List FP Case)

सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान प्रकरण भेजने हेतु आवश्यक जांच सूची :-

1. सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र की स्थिति में पाँचवीं अनुसूची में आवेदन पत्र भरकर सक्षम अधिकारी/उच्च अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया हो।
2. मृत्यु प्रकरण की स्थिति में पाँचवीं अनुसूची / सप्तम अनुसूची में आवेदन पत्र भरकर सक्षम अधिकारी/उच्च अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया हो।
3. अभिदाता का नाम पद एवं खाता संख्या निर्धारित कॉलम में स्पष्ट भरा जावे।
4. सेवा निवृत्ति/ त्याग पत्र / पदच्युति / मृत्यु की दिनांक एवं प्रकार निर्धारित कॉलम में स्पष्ट भरा जावे।
5. अभिदाता का पिन कोड सहित निर्धारित कॉलम में स्पष्ट भरा जावे।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय का पूर्ण पता पिन कोड सहित भरा हो।
7. कोषालय का नाम एवं पता कोड सहित भरा हो।
8. अन्तिम भविष्य निधि कटौत्रा, कोषालय व्हाउचर क्रमांक एवं दिनांक सहित आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में भरा जावें।
9. दिनांक 05-06-72 के उपरांत सम्पूर्ण सेवा काल में सामान्य भविष्य निधि खाते से निकाले गए अन्तिम आहरण (Part Final Drawl) कोषालय व्हाउचर क्रमांक तथा दिनांक सहित निर्धारित कॉलम में भरे हो एवं यदि सम्पूर्ण सेवा काल में आंशिक अन्तिम नहीं लिया है तो निर्धारित कॉलम में निरंक आवश्यक रूप से दर्शाया जाए अथवा आहरण न लेने का प्रमाण पत्र संलग्न हो।
10. सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्यागपत्र की दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान लिए गए अस्थायी अग्रिमों की जानकारी कोषालय, व्हाउचर क्रमांक एवं दिनांक सहित निर्धारित कॉलम में भरा जावे।
11. मृत्यु प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न हो।
12. मृत्यु प्रकरण में G.P.F. नामांकन की मूल/सत्यापित प्रति संलग्न हो एवं यदि नामांकन न होने पर उसका अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न हो तथा परिवार का पूर्ण विवरण संलग्न हो।
13. यदि अभिदाता द्वारा नामांकन नहीं भरा गया हो एवं परिवार नहीं है तो सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र संलग्न हो।
14. अभिदाता की प्रमाणित मूल पास बुक संलग्न हो एवं पासबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में अभिदाता / दावेदार का कारण सहित शपथ पत्र संलग्न हो।
15. सेवानिवृत्ति / मृत्यु / त्यागपत्र / पदच्युति दिनांक ने पूर्व अन्तिम 12 माह के कटौत्रों संलग्न हो।